

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी - महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या: 01/2020 प्रा0पत्र

दिनांक 05.10.2020

अनवान

ग्राम पंचायत निम्बाहेड़ा जाटान बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

-:: आदेश ::-

ग्राम पंचायत निम्बाहेड़ा जाटान के जरिये ग्रामवासी रेल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार करेड़ा द्वारा प्रस्ताव अन्तर्गत धारा 131,132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका र्ट पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक का परिशिष्ट-‘ए’ एवं तहसीलदार करेड़ा की अभिशंषा का नपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम भैरुखेड़ा पटवार हल्कानिम्बाहेड़ा तहसील करेड़ा के बिलानाम आ0नं0 38 मिन रकबा 5.10 बीघा में से 0.05 बीघा आ0नं0 39 आ 19.18 बीघा में से 0.15 बीघा, आ0नं0 55 रकबा 18.15 बीघा में से 0.15 बीघा कुल किता 3 आ 1.15 बीघा भूमि में स्थित ग्राम भैरुखेड़ा के मजरा रेल की स्कूल से चोर बावड़ी बाँध की पाल कदीमी रास्ता सार्वजनिक उपयोग का होने तथा ग्राम वासियान एवं खातेदारों के खेतों पर जाने के काम आ रहा में मौके पर रास्ता चालू हैं परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शों में रास्ते का अंकन नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता पुराने समय से चालू बताया हैं। साथ ही तहसीलदार करेड़ा ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख केत करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य से स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार करेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम भैरुखेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा तहसील करेड़ा के बिलानाम खसरा नम्बर 38 मिन रकबा 5.10 बीघा में से 0.05 बीघा, आ0नं0 रकबा 19.18 बीघा में से 0.15 बीघा, आ0नं0 55 रकबा 18.15 बीघा में से 0.15 बीघा कुल किता 3 आ 1.15 बीघा भूमि को मौके पर उक्तानुसार चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शों मन् नक्शे एवं परिशिष्ट-‘ए’ में वर्णितानुसार करावें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनांक 05.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(महीपाल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी पालना
सहायक न्यायाधीश करेड़ा



प्राथमिक

रजिस्ट्रार

तारा

15

प्राथमिक